कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा /माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 24.05.2018 द्वारा श्री होशियार सिंह यादव प्रधानाचार्य, राउमावि–गंडाला, बहरोड जिला अलवर का स्थानान्तरण राउमावि–रामसिंहपुरा,बहरोड अलवर किया गया था जिसकी अनुपालना में श्री यादव द्वारा दिनांक 26.05.2018 को कार्यग्रहण कर लिया गया। तत्पश्चात् श्री यादव को पुनः विभागीय आदेश दिनांक 28.05.2018 द्वारा राउमावि–हाजीपुर, बानसूर जिला अलवर में स्थानान्तरित कर दिया गया जिसके विरूद्व श्री यादव द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील संख्या 1282/2018 दायर की गई।

अपील संख्या 1282/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2018 द्वारा अपीलार्थी को 10 दिवस के भीतर अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन मय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उनकी व्यक्तिगत कठिनाईयों को सरकार के नीति–निर्देशो के मध्यनजर सकारण स्पीकिंग आदेश से दिनांक 31.07.2018 तक आवश्यक रूप से निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक विभागीय आदेश दिनाक 28.05.2018 का क्रियान्वयन स्थगित रखा गया।

माननीय न्यायालय के आदेश के कम में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में परिवेदना की गई कि उनकी पत्नी वर्ष 2013 से कैंसर से पीडित है और बहरोड के सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा उनकी सेवानिवृति के निकट होने, उनके उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम और उनकी पूरी राजकीय सेवा के ग्रामीण क्षेत्र में होने को मध्यनजर रखते हुए राउमावि–रामसिंहपुरा में ही प्रधानाचार्य के पद पर यथावत पदस्थापित रखे जाने की मांग की गई।

प्रार्थी के अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया। माननीय अधिकरण के निर्णय, प्रार्थी की विकट पारिवारिक परिस्थितियों और उनकी पत्नी के गंभीर कैंसर रोग की चतुर्थ अवस्था को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी श्री होशियार सिंह यादव का राउमावि–रामसिंहपुरा, बहरोड अलवर से राउमावि–हाजीपुर, बानसूर, अलवर किया गया स्थानान्तरण दिनांक 28.05.2018 एतद् द्वारा निरस्त किया जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना में श्री होशियार सिंह राउमावि–रामसिंहपुरा, बहरोड, अलवर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगे एवं श्री रामदत्त शर्मा प्रधानाचार्य का समायोजन राउमावि–हाजीपुर, बानसूर, अलवर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई ए एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर
दिनांक : 24-07-18

क्रमांक:–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/होशियार सिंह/अपील/1282/2018
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अलवर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित अपीलार्थी।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना–स्था/2018 दिनांक 24.5.2018 द्वारा श्री पवन कुमार जैन, प्रधानाचार्य राउमावि–नेवटा, सांगानेर जयपुर का स्थानान्तरण राआउमावि–सतवाडी, पहाडी जिला भरतपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री जैन द्वारा माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 881/2018 श्री पवन कुमार जैन बनाम सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 881/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2018 द्वारा अपील को ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए प्रकरण के तथ्यों, अपीलार्थी एवं मनीषा चौधरी (अपीलार्थी के स्थान पर विभागीय आदेश दिनांक 19.05.2018 द्वारा राआउमावि–कछनार, झालावाड से राउमावि–नेवटा, सांगानेर, जयपुर स्थानान्तरित प्रधानाचार्य) के अधिवक्ता की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में अपीलार्थी को दिनांक 25.06.2018 तक अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में दिए गए आदेश की अनुपालना को मध्यनजर रखते हुए दिनांक 10.07.2018 से पूर्व एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गये।

अपील संख्या 881/2018 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय के क्रम में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन में परिवेदना की गई कि अपीलार्थी दिव्यांग है और बिना कैलीपर शूज के चलने में असमर्थ है। अपीलार्थी द्वारा अपनी शारीरिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपना पदस्थापन जयपुर या जयपुर जिले के निकटस्थ किसी स्थान पर करने की मांग की गई।

अपीलार्थी श्री पवन कुमार जैन के अभ्यावेदन पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों और माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा याचिका संख्या 11781/2018 मनीषा चौधरी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 30.05.2018 के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व मनन किया गया। माननीय अधिकरण के अपील संख्या 881/2018 में दिए गए निर्णय दिनांक 18.06.2018 की अनुपालना में एवं अपीलार्थी की दिव्यांगता को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी श्री पवन कुमार जैन का समायोजन शहीद राजेश कुमार जाट आदर्श उमावि -सुराना शाहपुरा जयपुर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। **श्रीमती मनीषा चौधरी विभागीय आदेश दिनांक 19.05.2018 की अनुपालना में राउमावि–नेवटा, सांगानेर, जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर यथावत कार्यरत रहेंगी।**

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/पवन जैन/अपील/881/2018 दिनांक 25.7.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सम्बन्धित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर/भरतपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा जयपुर/भरतपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था./2018 दिनांक 19.06.2018 द्वारा श्रीमती नीरू कुलश्रेष्ठ प्रधानाचार्या, राबाउमावि, नयापुरा बाग जिला कोटा का स्थानान्तरण राउमावि–जारेला, अन्ता जिला बारां किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती नीरू कुलश्रेष्ठ द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं 1880/2018 श्रीमती नीरू कुलश्रेष्ठ बनाम श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा दायर की गई जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2018 द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 19.06.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण की आगामी सुनवाई तक स्थगित किया है।

माननीय अधिकरण द्वारा जारी उक्त अंतरिम आदेश के कम में श्रीमती नीरू कुलश्रेष्ठ प्रधानाचार्य के संबंध में जारी उक्त आदेश दिनॉक 19.06.2018 को एतद् द्वारा आगामी सुनवाई तक स्थगित किया जाता है। अतः माननीय अधिकरण के आगामी निर्णय के अध्याधीन श्रीमती नीरू कुलश्रेष्ठ राबाउमावि–नयापुरा बाग, कोटा में प्रधानाचार्य के पद पर यथावत कार्यरत रहेंगी। श्रीमती सन्तोष साहू प्रधानाचार्य राबाउमावि–नयापुरा बाग, कोटा को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर किया जाता है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/कोर्ट केस/बी–2/अपील 1880/2018 दिनांक 24.07.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कोटा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा कोटा/बारां।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित संस्था प्रधान

संयुक्त निदेशक(कार्मि

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना–स्था/2018 दिनांक 24.5.2018 द्वारा श्रीमती विद्या कन्नोजिया सहायक निदेशक (समकक्ष प्रधानाचार्य–उमावि) कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर का स्थानान्तरण राउमावि–बिलनियासर, नोखा, बीकानेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती कन्नोजिया ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 8773/2018 विद्या कन्नोजिया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की।

याचिका संख्या 8773/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2018 द्वारा याचिकार्थी श्रीमती विद्या कन्नोजिया की याचिका को निस्तारित करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को विधि अनुसार कन्सीडर करते हुए जरिए स्पीकिंग ऑर्डर 30 दिन में निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गये।

माननीय न्यायालय निर्णय के कम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया कि याचिकार्थी प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत थी और राज्य सरकार के पत्र दिनांक 18.12.1999 के अनुसार कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर में पदस्थापित जिला शिक्षा अधिकारी के नीचे के स्तर के समस्त राजपत्रित अधिकारी/वरिष्ठ अध्यापक के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ही सम्पादित किये जाने चाहिए। याचिकार्थी के अनुसार जिस स्थान हेतु उसे कार्यमुक्त किया गया है वहां सहायक निदेशक का पद नहीं है इसलिए उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.05.2018 का कोई औचित्य नहीं है। याचिकार्थी द्वारा अपना स्थानान्तरण पुनः प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में अथवा बीकानेर शहर में प्रधानाचार्य या समकक्ष के पद पर किये जाने की परिवेदना की गई।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभागीय नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से परीक्षण किया गया। याचिकार्थी का स्थानान्तरण उनके गृह जिले में ही प्रधानाचार्य के पद पर किया गया है। उन्हें गृह जिले से बाहर किसी अन्य जिले में स्थानान्तरित नहीं किया गया। याचिकार्थी सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत थी जो कि प्रधानाचार्य उमावि. के समकक्ष स्तर का पद है और श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा उसके नियोजक व नियुक्ति अधिकारी हैं। प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सेवाऐं सरकार अथवा विभागाध्यक्ष राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी लेने हेतु सक्षम है। इसी को मध्यनजर रखते हुए याचिकार्थी **श्रीमती विद्या कन्नोजिया का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि–बिलनियासर, नोखा, बीकानेर में दिनांक 27.07.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।**

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/विद्या कन्नोजिया/याचिका/8773/2018 दिनांक 24.07.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सम्बन्धित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को पाबन्द कर निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जोधपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक कार्मिक

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—: आदेश :—

इस कार्यालय के आदेश कमॉकः— शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानास्था/ 2018 दिनॉक 24.05.2018 द्वारा श्री प्रभूदयाल मीना प्रधानाचार्य राउमावि सेफरागुवार झुंझनु का स्थानान्तरण राउमावि पालियास नागौर किया गया । श्री प्रभूदयाल मीना ने उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनॉक 24.05.2018 के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 829/2018 दायर की गई । जिसमे माननीय अधिकरण ने दिनॉक 13.06.2018 को निर्णय दिया हैं ।

माननीय न्यायालय ने अपील के निर्णय दिनॉक 13.06.2018 द्वारा अपीलार्थी को अपील में वर्णित आधारों पर अपना अभ्यावेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करने एवं सक्षम अधिकारी को उक्त अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश जारी करने के निर्देश दिये हैं । अभ्यावेदन निस्तारण तक विवादित स्थानान्तरण आदेश दिनॉक 24.05.2018 का कियान्वयन स्थगित किया हैं ।

अपीलार्थी ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पिछले तीन वर्षो से स्वयं के बीमार होने एवं दो बार सर्जरी होने, पत्नी के मनोरोग से पीडित होने एवं बीमारी के फलस्वरूप एक महिने या दो महिने में urethrnal dilation करवाना का उल्लेख करते हुए स्थानान्तरण आदेश दिनॉक 24.05.2018 को निरस्त करने का निवेदन किया हैं ।

माननीय न्यायालय निर्णयान्तर्गत प्राप्त अभ्यावेदन का निर्णय एवं नियमों के परिपेक्ष्य में गहन विचार एवं मनन किया गया है । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं अपीलार्थी की स्वास्थ्य सम्बन्धित जटिलताओं के मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी के सम्बन्ध में जारी स्थानान्तरण आदेश दिनॉक 24.05.2018 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता हैं । निरस्त के फलस्वरूप राउमावि सेफरागुवार झुंझनु में अपीलार्थी के अतिरिक्त श्री अमीलाल मीणा प्रधानाचार्य के आदेश दिनॉक 19.05.2018 की अनुपालना में कार्यरत होने के कारण दोहरे पदस्थापन की स्थिति के मध्यनजर श्री अमीलाल मीणा का समायोजन राउमावि राघाबडी–राजगढ चूरू में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता हैं ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमांकः— शिविरा–मा/संस्था/कोर्ट केस /बी–II/अपील/829–18/2018
दिनांकः–24/07/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर प्रकाशनार्थ ।
2. उपनिदेशक, (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–) शिक्षा विभाग झुंझनु/चूरू/नागौर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, विधि,जयपुर
5. सहायक निदेशक–विधि,कार्यालय हाजा
6. श्री प्रभूदयाल मीना, प्रधानाचार्य राउमावि सेफरागुवार झुंझनु
7. श्री अमीलाल मीना, प्रधानाचार्य राउमावि सेफरागुवार झुंझनु
8. प्रधानाचार्य राउमावि राघाबडी–राजगढ चूरू
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)